

न्यायालय, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर

परिवाद संख्या— 1522 / 2025
डॉली कुमारी बनाम् राजू कुमार साह एवं अन्य

दिनांक: 16.07.2026

कार्यालय द्वारा अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता है कि, प्रस्तुत परिवाद वाद परिवादिनी डॉली कुमारी द्वारा परिवाद-पत्र में नामांकित अभियुक्त 1. राजू कुमार साह, 2. राधेश्याम साह, 3. शकुन्तला देवी, 4. उमाशंकर साह, 5. सुरज कुमार, 6. धीरज कुमार, 7. प्रियंका देवी, 8. पूजा कुमारी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दिनांक: 15.09.2025 को दाखिल किया गया जो परिवाद वाद संख्या— 1522 / 2025 के रूप में दर्ज हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख इस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया।

वाद शपथ पर बयान हेतु नियत है। परिवादिनी दिनांक: 29.10.2025 से ही एक भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। परिवाद पत्र के दाखिल होने से अभी तक 10 महीने पुरे हो चुके हैं जिसमें परिवादिनी किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुई है और लगातार परिवादिनी को 6 तिथियों से सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया जा रहा है। परिवादिनी की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी वाद में अपना रुचि खो दिये है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद **डॉ० बुधि कोटा सुब्बा राव बनाम् के० परासरण (1996) 5 SCC 530** वाद में ऐसा कहा गया है कि किसी भी विवादी को कोई अधिकार नहीं है कि पब्लिक मनी, सरकारी व्यवस्था और न्यायालय के बहुमूल्य समय को अपने विवादों के निपटारण के लिए अपनी इच्छा अनुसार लम्बे समय तक बिना किसी जायज कारण के जाया करें।

परिवाद के अवलोकन से ये प्रतीत होता है कि परिवादिनी लगातार अनुपस्थित रह रही है। परिवादिनी को बार-बार सदेह उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया था एवं दिनांक— 16.03.2026 को अपना शपथ पर बयान देने हेतु आखिरी मौका भी दिया गया था परंतु परिवादिनी अनुपस्थित रहे। इस वाद में परिवादिनी की लम्बी अनुपस्थिति देखते हुए और यह देखते हुये कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही जारी रखी जा सके, इस वाद को आगे जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा— 226 के अंतर्गत वाद को खारिज करती है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

Sd/-
अनु० न्या० दंडा०, पश्चिमी
मुजफ्फरपुर